(163)

समक्ष न्यायालय म0प्र0 राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैंप जबलपुर

पुनरीक्षण प्र0 क0 /15 निग - 465 - I-16

आवेदिका / पुनरीक्षण कर्ता :– श्रीमती सुनीति माहेश्वरी उम्र 41 (इकतालीस) वर्ष पति नवनीत माहेश्वरी, निवासी दीवान बहादुर वल्लभदास महल, हनुमानताल, जबलपुर जिला–जबलपुर

बनाम

अनावेदकगण / उत्तरवादी :– 1. श्री दिलीप अवस्थी आत्मज श्री बी.पी. अवस्थी निवासी बी.–8 / 1एवं 2,जे.डी.ए. कालोनी,कटंगा,जबलपुर, जिला–जबलपुर
2.श्री आनन्द कोपरिहा, अनुविभागीय अधिकारी / भू–अर्जन अधि0 तहसील पाटन, जिला जबलपुर
3 श्री देवेन्द्र पाण्डे, रीडर अनुविभागीय अधिकारी / भू–अर्जन अधि0 तहसील पाटन, जिला जबलपुर
4. श्री इन्द्रजीत सिंह (राजा) पटवारी ह0न0 44 ग्राम मनकेड़ी, निवासी डॉ0 पाण्डे के अस्पताल के पीछे, व्यौहारबाग,जिला जबलपुर

श्री प्रकाश कोरी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
12 JAN 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

(6)

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

आवेदिका न्यायालय श्री अनुविभागीय अधिकारी, पाटन द्वारा प्र0 क0 31 –अ–82 / 11–12 में पारित दि0 05.12.15 के आदेशों से क्षुब्ध व दुखी होकर निम्न तथ्य व आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन पेश करती है :–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि मौजा मनकेड़ी, प.ह.न. 45 (पैतालीस) तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर स्थित जमीन पुराना ख. नं. 253 / 1(दो सौ तिरेपन बटा एक) रकवा 6.295 हे0 अर्थात 15.31 एकड़ तथा नया ख. नं. 317 रकवा 5.94 जिसमें से 0.89 हैक्टर भूमि राजमार्ग के लिये अधिग्रहीत की गई है के बारे में व्य0 वाद क0 20ए / 15 माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है जिसकी अगली पेशी 18–02–16 को नियत है ।
2. यह कि माननीय व्यवहार न्यायालय ने 20–07–-15 को आवेदिका / वादी के पक्ष में सभी पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिया है । अनावेदकगण द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी पर रोक है । इसमें म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर भी पक्षकार हैं याने मातहत सारे शासकीय कर्मचारीगण न्यायालय के आदेशों के पालन हेतु बाध्य हैं । न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2015 की प्रति <u>संलग्नक –1</u> के रूप में संलग्न है।
3. अनावेदक कं. 1 श्री दिलीप का मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है लेकिन उनका कोई स्वत्व व अधिकार विवादित जमीन पर नहीं रह गया है न ही उनका कोई कब्जा है। अनावेदक कं. 1 ने आवेदिका के ससुर मुकुन्ददास माहेश्वरी को वचन दिया था कि उनका नाम राजस्व रिकार्ड में चढ़ा रहने दें

COMMISSIONER JABALPUR
Smt. L.D. Patel B.A.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-465-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला जबलपुर</u>**	